कम्प्यूटर सं० 1819096 / 4-2-19

पत्र सं0-विधि-4(2)-अपील फाइल की प्रक्रिया निर्धारण (जी0एस0टी0) / (17-18) / 610 / वाणिज्य कर।

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 04 फरवरी, 2019

कार्यालय आदेश

जी0एस0टी0 कामन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपील दाखिल किये जाने की व्यवस्था होने तक मुख्यालय के परिपत्र सं0-विधि-4(2) अपील फाइल की प्रक्रिया निर्धारण (जी0एस0टी0)/(17-18)/1054 दिनांक 24-11-2017 से अपील दाखिल किये जाने की मैनुअल प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी।

जी0एस0टी0एन0 द्वारा अपील का ऑनलाईन माड्यूल डेवलप किया गया है, किन्तु विभाग की प्रवर्तन इकाईयों में तैनात अधिकारियों द्वारा पारित किये जा रहे आदेशों के विरुद्ध अपील फाइलिंग में निम्न तकनीकी समस्या सूचित की गयी हैं।-

प्रवर्तन इकाईयों में तैनात अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध ऑनलाईन अपील उस खण्ड कार्यालय के अपील प्राधिकारी के लॉगित आई0डी0 पर Visible हो रही हैं, जिन खण्ड कार्यालय के अधिक्षेत्र में सम्बन्धित व्यापारी पंजीकृत है, जबकि इस प्रकार के मामलों में अपील प्राधिकारी सम्बन्धित प्रवर्तन इकाई हेतु नामित अपीलीय अधिकारी हैं।

उदाहरण- यदि खण्ड-1, नोएडा के अधिक्षेत्र में पंजीकृत किसी व्यापारी का कोई समव्यवहार सचल दल इकाई, बस्ती में तैनात किसी अधिकारी द्वारा इंटरसेक्ट करते हुए कोई आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध दाखिल की जाने वाली ऑनलाईन अपील एडीशनल कमिश्नर (अपील) प्रथम, नोएडा की लॉगिन आई0डी0 पर Visible हो रही है, जबकि इस प्रकरण में अपील प्राधिकारी एडीशनल कमिश्नर (अपील) बस्ती हैं।

जी0एस0टी0एन0 द्वारा विकसित अपील माड्यूल में ऑनलाईन अपील ट्रॉसफर की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय कर प्रशासन के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत व्यक्तियों तथा प्रान्त बाहर पंजीकृत किन्तु प्रान्त में अपंजीकृत व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों में आनलाईन अपील फाइलिंग प्रक्रिया में भी तकनीकी समस्या है। स्पष्ट है कि ऑनलाईन अपील माड्यूल अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है।

अत: आनलाईन प्रवर्तन अपील माड्यूल पूरी तरह डेवलप न होने के कारण प्रवर्तन इकाईयों में तैनात अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील फाइलिंग एवं निस्तारण सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र सं0-विधि-4(2)(जी0एस0टी0)/(17-18)/1054 दिनांक 24-11-2017 से निर्धारित प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(अपील) / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि जी0एस0टी0एन0 से समन्वय स्थापित करते हुए उ0प्र0 राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपील माड्यूल की तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराएं तथा आनलाईन प्रक्रिया सुचारु रुप से विकसित होने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

4/2/2019

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।